भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 783731

ट्रस्ट-डीड/न्यास पत्र

हम कि शीला जायसवाल पत्नी श्री जय प्रकाश जायसवाल व रीता जायसवाल पत्नी श्री ओम प्रकाश जायसवाल निवासी ग्राम व पो0-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़ उ0प्र0 इस ट्रस्ट के संस्थापक व ट्रस्टी है जो दिनांक 10.04.2013 से अस्तित्व में लाया गया है। मैं शीला जायसवाल मुख्य संस्थापक प्रथम व रीता जायसवाल महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुये ओम साँई सेवा ट्रस्ट का नाम पता निम्नवत् है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम	:	ओम साँई सेवा ट्रस्ट
ट्रस्ट का पता	:	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़
ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय	:	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़
ट्रस्ट का क्षेत्रीय कार्यालय	:	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़
कार्यक्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारत वर्ष

शीला जायसवाल

रीता जायसवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 783730

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्ट सदस्य बनने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है।

क्र0सं0	नाम	पद	पता
1	शीला जायसवाल पत्नी श्री जय प्रकाश जायसवाल	मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़
2	रीता जायसवाल पत्नी श्री ओम प्रकाश जायसवाल	महासचिव संस्थापक	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़
3	श्री लक्ष्मी प्रसाद पुत्र स्व0 फेरूराम	सदस्य	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़
4	श्री रामअवतार जायसवाल पुत्र स्व0 फेरूराम	सदस्य	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़
5	श्री जय प्रकाश जायसवाल पुत्र श्री कामता प्रसाद,	सदस्य	ग्राम व पोस्ट-कौरा गहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्न उद्देश्य होगें-

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाए यानि प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय

शीला जायसवाल

शीला जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310419

महाविद्यालय , शैक्षणिक विद्यालय , चिकित्सा , मेडिकल कालेज , शिक्षा का प्रचार / प्रसार उन्नयन , प्रबन्धन तथा विधि महाविद्यालय एंव उन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना ।

- प्रौढ शिक्षा , व्यवसायिक शिक्षा , तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था करना एवं संचालन करना , शिक्षा का देश– प्रदेश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिये हर सम्भव कार्य करना व संस्थानो की स्थापना करना ।
- बी0टी0सी0 ,बी0एड0 , बी0पी0एड0 ,टेक्निकल कालेज , सी0बी0एस0ई0 के स्कूलो की स्थापना करना उ0प्र0सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना ।
- पर्यावरण को बढावा देना तथा इस उद्देश्य हेतु संस्थाओं को स्थापित करना तथा अभिविद्धत करना ।
- न्यास के उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु जनता को अध्ययन ,अनुसंधान , अध्यापन आदि की संस्थाओं आदि में सुविधा प्रदान करना जिससे कार्यो एवं दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह हो सकें ।
- इस न्यास व इसके उद्देश्यों का प्रचार – प्रसार ऐसे माध्यमों द्वारा करना जो उचित समझे जाये विशेष रूप से जैसे प्रेस परिपत्र (सरकूलस) इसके कार्यो के प्रदर्शनी , पारितोषिक तथा दान आदि वितरित करना ।

शीला ओमसवाल　　　　　　　　गीता जायसवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310420

- अस्पताल , स्कूल , अभियंत्रण ,चिकित्सा ,प्रबन्धन तथा विधि विद्यालय ,डिस्पेन्सरी प्रसूति गृह ,बाल कल्याण केन्द्र परिचर्या गृह तथा अन्य इसी प्रकार के पूर्त संस्थाओं की जन सामान्य के लाभ हेतु भारत या विदेश में ही स्थापना करना , उनका उत्थान करना व उन्हे धन व अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करना ।
- परिवार कल्याण एंव उससे सम्बन्धित अन्य समस्त प्रकार के कार्यकम ।
- विभिन्न संकामक / गैर संकामक बीमारियो जैसे –एडस ,मस्तिष्क ज्वर ,कुष्ट रोग ,कैंसर ,पोलियों , मोतियाबिन्द आदि के मदद से कार्य करना ।
- उद्यान (पार्क) व्यायामशाला ,कीडा क्लब व धार्मिक स्थान व विश्राम गृह मनोरंजन क्लब ,धर्मशाला आदि की जन सामान्य के उपयोग के लिये स्थापना करना ,उन्हे चलाना तथा उनकी सहायता करना ।
- हिन्दू ,सिख , जैन , बौद्ध आदि धर्मो के लोगों को संगठित करना तथा सेवा आदि के लिये गुरूद्वारा मंदिर निर्मित करना और उसका प्रबन्धन करना और मंदिर में पूजा के लिये मूर्तिया लगवाना ।
- विचारकों ,विधवाओं , अन्धों ,बृद्धों , गरीबों , जरूरतमंदों , अभावग्रस्त व्यक्तियों के लिये आश्रम गृह अनाथालय आदि स्थापित करना व उनका प्रबन्धन करना और इस प्रकार के लोगों की सहायता करना ।

शीला अग्रवाल

शीला अग्रवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310401

- शारीरिक रूप से विकलांग ,अक्षम और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिये संस्थान की स्थापना करना तथा विकास करना जिसमें ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा , भोजन , कपडा आदि देकर सहायता की जाय ।
- अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना ।
- अनाथ गरीब विकलांग बच्चों हेतु आवासीय / अनावासीय विद्यालयों की स्थापना व संचालन करना ।
- प्राथमिक ,माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में सरकार के विभिन्न योजनाओं को संचालित करने हेतु गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रूप में सहभागिता करना ।
- कृषि , भागबानी , पशुपालन , गृह –उद्योग , खाद्य प्रसंस्करण , नारी उत्थान , अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति , पिछले वर्ग का उत्थान , भष्टाचार निरोध , मानवाधिकार आयोग से सम्बधित कार्य , कानून एवं व्यवस्था का विकास , स्वैच्छीकरण का विकास , औद्योगिक संस्थान ,नागरिक उड्डयन सहकारिता , उर्जा , शिक्षा (प्राथमिक , माध्यमिक ,उच्च प्राविधिक , चिकित्सा, कम्पूटर कृषि इत्यादि) ,सस्कृति शिक्षा , वन॰ , आवास एवं शहरी नियोजन , गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग ,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ,इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी , महिला कल्याण , भाषा , धमार्थ कार्य , लोक निर्माण , सिंचाई , ग्रामीण अभियन्त्रण , स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, एवं आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा , परिवहन , परिवार कल्याण ,समाज कल्याण , पर्यटन , खाद्य एवं

शीला जायसवाल

शीला जायसवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 310406

रसद , मनोरंजन , बाल विकास एवं पुष्टाहार , श्रम , भूतत्व एवं खनिज कर्म , खेलकुद , युवा कल्याण खादी एवं ग्रामोद्योग , भूमि विकास , जल संसाधन , परती भूमि विकास , उद्यान , पर्यावरण ,लघु उद्योग , हथकरघा , वस्त्र उद्योग , दुग्ध विकास ,ग्राम्य विकास , संस्कृति मत्स्य , विकलांग कल्याण , पंचायती राज , आबकारी ,ग्रामीण रोजगार एव गरीबी उन्मूलन ,नागरिक सुरक्षा ,न्याय एवं विधायी संस्थायें ,नियोजन , निर्वाचन एवं पंचायत राज , वैकिंग भाषा ,मुद्रण एवं लेखन ,भूमि विकास एवंज ल संसाधन ,राष्ट्रीय एकीकरण , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी , सतर्कता ,समन्वय , सार्वजनिक उद्यम., सूचना एवं जनसम्पर्क , अल्पसंख्यक कल्याण , कृषि विपणन , निर्यात प्रोत्साहन , पुरातत्व प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , प्राणी उद्यान्त , एड्स नियंत्रण , गंगा – यमुना आदि स्वेच्छीकरण , आपदा राहत , पेयजल एवं स्वच्छता , सहकारी समितियॉ , साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा , सैनिक कल्याण , संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा , स्थानीय निकाय , यूनानी चिकित्सा , प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाएं ,न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ,रिमोट सेंसिंग , ललित कला , चित्रकला ,वैकल्पिक उर्जा विकास संस्थान , वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एंव शोध संस्थान आन्तरिक लेखा परीक्षा , संगीत , नाटक ,स्वतंत्रता संग्राम सेनानी,उपभोक्ता संरक्षणं , भूमि सुधार , भण्डारा , विचार , प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाऐं आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना ।

शीला अग्रवाल

शीला अग्रवाल

उत्तरप्रदेश UTTAR PRADESH AL 310405

- उपरोक्त सभी किया – कलापों हेतु राज्य /केन्द्र सरकार / अन्तर्राष्टीय संस्थाओं / अन्य राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय ट्रस्टों तथा जागरूक व्यक्तियों से अनुदान /मदद प्राप्त करना ।
- अनुदान / दान आदि प्राप्त करने के लिये न्यास परिषद के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी ही अधिकृत होंगे ।
- ट्रस्ट की मूल राशि से आय उत्पन्न तथा दान एवं अन्य सहयोग से समय – समय पर लेकर ट्रस्ट की सम्पति की वृद्धि करना ।
- ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों में समस्त प्रकार के क्षेत्रों मे व्यवसायिक शिक्षा /प्रशिक्षण देना एवं गरीब /कमजोर /अनाथ युवक /युवतियों को स्वावलम्बित बनाने हेतु अन्य सभी सरकारी योजनाओं मे गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) के रूप मे कार्य करना ।
- छात्र –छात्राओं , कामकाजी महिलाओं ,बृद्धों , विधवाओं तथा अनाथों के लिये छात्रावास /आश्रम की व्यवस्था जिसमें शिक्षा / भोजन की सुविधायें भी हो ।

<u>न्यास की धन सम्पदा एवं सम्पत्तियों :</u> न्यास की उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु ट्रस्ट के संस्थापक श्री मति शीला जायसवाल द्वारा दिये गये दस हजार रूपये (10000.00) को ट्रस्ट की मूल राशि कहा जायेगा ।

ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति (न्यासी परिषद) अपनी सामान्य शक्तियों का अप्रभावित रखते हुये भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के प्राविधानों के अनुरूप निम्नलिखित शक्तियाँ धारण करेगी ।

शीला जायसवाल

शीला जायसवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 310404

- ट्रस्ट /न्यास के लिये सहयोग चन्दा ,आम जनता किसी भी व्यक्ति फर्म एसोसियेशन , किसी अन्य न्यास या कारपोरेट बाडी इत्यादि से धनराशि या अन्य किसी रूप में शर्तो के अधीन न्याय की सम्पत्तिया तथा आय या उसके किसी भाग को न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपने विवेकानुसार समय समय पर उपयोग करना ।
- न्यास राशि को बढाने हेतु न्यास की शर्तो के अधीन न्यास के लिये चल व अचल सम्पत्तियॉ प्राप्त करना ।
- न्यास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समय–मसय पर न्यास की सम्पत्तियों का विकय करना , बन्धक रखना , पट्टे पर देना , लाइसेंस पर देना व किसी अन्य प्रकार अन्तरित करना ।
- आयकर अधिनयम 1961 की धारा 13 (1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना ।
- विभिन्न योजनाओं में लगाये गये न्यास के धन को वापस लेना उसमें परिवर्धन करना या निरस्त करना ।
- न्यास के उद्देश्यों के हित में समझौता करना , अनुबन्ध करना , तथा उन्हे परिवर्तित एवं निरस्त करना ।
- न्यास के उद्देश्यों हेतु मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम द्वारा अनुदान प्राप्त करना या देना तथा उसकी रसीद देना या प्राप्त करना ।
- सरकार के समक्ष तथा न्यायालय .....राजस्व म्युनिस्पल तथा स्थानिय निकाय आदि के सममुख न्यास का प्रतिनिधित्व करना तथा सभी प्रकार के मुकदमें वाद ,

शीला जायसवाल

शीला जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310403

अपील आदि चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या अन्य अधिकारियों व निकाय व ट्रिव्यनल के समक्ष आदि वादों में जो न्यास के हित में पैरबी करना ।

- न्यासिकों द्वारा निर्धारित कर्ता व वेतन पर किसी भी व्यक्ति /व्यक्तियों का न्यास के कार्यों हेतु नियुक्त करना और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशाशनात्मक कार्यवाही करना और उनकी सेवाये समाप्त करना । न्यास परिषद के ऐसे कार्या को किसी न्यायालय या ट्रिव्यूनल आदि में विवादित नही किया जा सकेगा या चुनौती नही दी जा सकेगी ।
- न्यास की सम्पति या किया–कलापों के जरूरी प्रबन्धन के लिये न्यास परिषद जो भी व्यय ,या खर्च आवश्यक समझे उनका वहन करना ।
- न्यास या उसके द्वारा संचालित संस्थाओं आदि के सम्बन्ध में बैक में खाता खोलना तथा एक या एक से अधिक न्यासी द्वारा उक्त बैक खाता खोलने तथा चलाने की व्यवस्था करना ।
- न्यास परिषद की सहमति पर अपनी कुछ शक्तियॉ किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधिनित करना , परन्तु ऐसे व्यक्ति /व्यक्तियों के कार्य व्यवहार को न्यासीगणों के नियंत्रण एवं निर्देशों के अधीन रखना ।
- न्यास की चल या अचल सम्पत्ति व फण्ड किसी ऐसे अन्य न्यास को हस्तान्तरित करना , जो इस न्यास के समान हो तथा आयकर अधिनियम 1980 की धारा 80जी में मान्यता प्राप्त हो ।

शीला जायसवाल

शीला जायसवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310402

- न्यासियों की सहमति पर लोगों का न्यास की संचालित संस्थाओ का समय समय पर सदस्य बनाना तथा नियम परिनियम को बनाना तथा असमें परिर्वतन करना , परन्तु संस्थाओं के ऐसे सदस्यों को इस न्यास में मताधिकार प्राप्त नही होगा ।
- न्यासीगण की सहमति से निर्धारित कार्य के अनुसार न्यास की अचल सम्पत्ति को किराये पर देना या हस्तान्तरित करना ।
- न्यास राशि के लिये सभी प्रकार की कार्यवाही दावो , मॉग , मुकदमा आदि के सम्बन्ध में समझौता करने मध्यस्थ को समायोजित करना ।
- न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिनियम तथा योजना बनाना व उनके परिवर्तन करना और न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास /न्यासों द्वारा संचालित संस्थाओं के किया–कलापों के प्रबन्धन आदि हेतु योजनाये तथा परिनियम बनाना व उनमे परिवर्तन करना ।
- जनहित में किसी भी पूर्त संस्था को प्रारम्भ करना , समाप्त करना , स्थगित करना पुनः प्रारम्भ करना या स्थापित करना और उन संस्थाओं को प्राप्त दान व चन्दा के सम्बन्ध में शर्ते लागू करना ।
- न्यास की आय न्यास के विभिन्न उददेश्यों के अनुसार विभाजित करना और न्यास निधि मे जमा करना ।
- देश व विदेश में ऐसे न्यास ,न्यास पूर्त संस्थायें / सोसाइटी / संगठन आदि की न्यास की आय मे से दान आदि देकर सहायता करना , जिनके उद्देश्य इस न्यास के समकक्ष व समान हो तथा और किसी भी प्रकार से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति

शीला अग्रवाल

शीला अग्रवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 310412

कर सकें । ऐसे न्यासो /समितियों / संगठनों इत्यादि को पुनः प्रारम्भ करना, अनुरक्षित करना तथा न्यास के उद्देश्यों हेतु संचालित करना ।

- इस न्यास में जिन अन्य न्यासों , संस्थाओं , संगठनों , समितियों को सम्मिलित किया जा सकता है , का खरीदना व प्राप्त करना ।
- न्यास की सम्पति , आस्ति, दायित्व आदि किसी अन्य ऐसे न्यास , समिति संस्था या संगठन को हस्तान्तरित करना , जिसमे न्यास का विलय होना अधिकृत किया गया है ।
- न्यास को उन अन्य समिति ,संस्था ,न्यास या संगठन को उन शर्तो मे सौपना जिन्हे न्यासीगण उचित समझें , परन्तु इस सम्बन्ध मे सस्थापक ट्रस्टी प्रथम की अनुमति आवश्यक होगी एवं होने पर न्यासीगण अपने दायित्व पर उपमोचित हो जायेगें और न्यास की राशि भी हस्तान्तरित हो जायगी ।
- न्यास के आर्वतक व अनार्वतक व होने वाले खर्चो को निश्चित करना उन्हे अनुमोदित करना व आवटित करना और इस सम्बन्ध मे न्यासीगण कार्यभार के सम्बन्ध में और इससे सम्बन्धित होने वाली बैठको के सम्बन्ध में नियम बना सकत है । और उन नियमो का समय समय पर संशोधित कर सकते है । इस प्रकार बनाये गये सभी नियम संस्थापक ट्रस्टी प्रथम द्वारा अनुमोदन होने के उपरान्त ही प्रभावी होगें ।
- न्यास व इसकी संस्थाओं के संचालन व परिवर्तन हेतु व्यक्ति या व्यक्तियों जिसमें न्यासी / प्रबन्ध –न्यासी , व समिति आदि शामिल है , को नियमनुसार नियुक्त करना तथा इस सम्बन्ध में अपने नियम व परिनियम बनाना एंव विभिन्न पूँजी व निवेश

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310411

के सम्बन्ध में न्यास के प्रावधानों के अनुसार नियम व परिनियम बनाना तथा विभिन्न न्यासी नियुक्त करना ।

- न्यासीगण आवश्यकतानुसार मानदेय पर कर्मचारी व सहयोगी नियुक्त कर सकते है , जिससे न्यास का समुचित प्रावधान किया जा सकें ।
- न्यासीगण को यह अधिकारी होगा कि व आर्थिक तकनिकी व अन्य प्रकार की अन्य व्यक्तिओं से अधिकारीयों या संस्था से उन शर्तो पर ले सकते है जो उन्हे उचित लगे तथा जो न्यास के उद्देश्यों से सामंजस्य रखती हो ।
- न्यासीगण अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग आपसी बहुमत के निर्यण के आधार पर कर सकेगें और बहुमत द्वारा लिये गये निर्यण प्रभावी कानूनी व उचित माने जायेगे ।
- उपरोक्त उददश्यों की पूर्ति हेतु अध्यक्ष से अनुमति से अन्य ट्रस्टों की वित्तीय या अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध करना ।
- <u>ट्रस्ट का कार्यकाल</u> – ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टों का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा । वह जबतक जीबित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा । प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी के पति/पुत्र या पुत्रबधु /पुत्री कमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे , इनके न रहने पर ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्यण होगा , मान्य होगा ।
- <u>ट्रस्ट की सदस्यता</u> – ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 5 होगी एवं ट्रस्ट में किसी भी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की सहमति से पचास हजार रूपये (रू 50000/)सदस्यता शुल्क जमा करा कर नया स्थायी सदस्य बनाया

शीला जायसवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310410

जा सकता है । इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिये ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मलित होगें एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट को अधिक प्रजतांत्रिक बनाने एवं अधिकतम कार्य कुशलता लाने के दृष्टिकोण से समाज के सम्मानित सदस्यों को ट्रस्ट /न्यास का सदस्य बनाया जा सकता है । इस सदस्य को साधारण सदस्य कहा जायेगा । ट्रस्ट या न्यास का सदस्य बनने की योग्यता रखनें वाले ऐसे सभी लोग जो ट्रस्ट

- को पंचास हजार रूपये (रू50000/.) दान दें. संस्थापक सदस्यों के बहुतम द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी के लिखित सहमति के उपरान्त ट्रस्ट/न्यास के सदस्य बन सकते है परन्तु प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/ मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा अन्य संचालित सभी संस्थाओ के प्रबन्धक भी सस्थापक / मुख्य ट्रस्टी ही होगा ।

ट्रस्टी के अधिकार एंव कर्तव्य

- **मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम :–**
- ट्रस्ट की साधारण सभा या पदाधिकारियों या अन्य सभी प्रकार बैठको की अध्यक्षता करना एवं उनके सुचारू संचालन हेतु नियम निर्देश तय करना ।
- मतदान की स्थिति में समान मत होने की स्थिति में मतदान करना ।
- ट्रस्ट के नबीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति / अ सहमति लिखित रूप से प्रदान
- करना ।

शीला जाय सवाल

सीता जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310409

- न्यास /न्यासी से सम्बन्धित समस्त संस्थाओं के सम्बन्ध में समस्त प्रकार के प्रशासनिक व वित्तीय निर्णयों (जो ट्रस्ट द्वारा लिये गये हो) के कियान्वयन को स्वयं या किसी के माध्यम से सुनिश्चित करना ।

1. न्यास के सभी पत्राचार मुख्य ट्रस्टी के नाम होगा ।
2. न्यास की समस्त राशिओं का व खातों का महा सचिव सस्थापक ट्रस्टी द्वितीय के सहयोग से संचालन होगा ।
3. सभी प्रकार के वित्तीय हिसाब – किताब रखना तथा ट्रस्ट की बैठको में उन्हे प्रस्तुत करना ।
4. जहाँ कही किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो वहाँ अन्तिम निर्णय देना ।
5. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओ के लिये भूमि भवन का कय विकय लीज (पट्टा) करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करेगा ।
6. मुख्य ट्रस्टी चल– अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये बेच या खरीद सकता है ।
7. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिये देश –विदेश से अनुदान /दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है ।
8. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति , निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है ।
9. संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी भी सदस्य का कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है । यह प्राविधान संस्थापक एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा ।

शीला जायसवाल

गीता जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AL 310407

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

10. नये सदस्यों के लिये स्वहस्ताक्षरित रसीद जारी करना ।

महाचसिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय –

1. संस्थापक ट्रस्टी की अनुपस्थिति मे उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा ।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना ।
3. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिये दिशा – निर्देश देना ।
4. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएं प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित मे समस्त कार्यो का सम्पादन करना ।
5. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार होंगे ।
6. ट्रस्ट (न्यास) मे नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना ।

सदस्य ट्रस्टी –

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठको मे भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित मे निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं मे स्वार्थहित भाव से सहयोग प्रदान करना ।

ट्रस्ट (न्यास) के अग –

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी ।

शीला आभा सेवोल

शीला आभा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310414

1. सधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)

साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सदस्यो को मिलाकर किया जायेगा । परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिये एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होगें इसके अतिरिक्त 50000/. रू0 संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये संस्थाओं के लिए होंगे ।

बैठकें –

1. **साधारण बैठकें** – ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार मार्च व सितम्बर माह में होगी ।
2. **बिशेष बैठक** – दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पडने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि – साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव , संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है । विषेश परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठकें बलाई जा सकती हैं ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन – साधारण सभा का बिषेश वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार दिसम्बर माह में होगा ।

शीला जाय स्वामी

शीला ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 310413

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य – साधारण सभा ट्रस्टिओं के निम्नलिखित कर्तव्य होगे ।

अ) वार्षिक आय –व्यय बजट चेक करना ।

ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के योजना एवं बजट निश्चित करना ।

स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना ।

द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विकास के लिये समय समय पर उनके कार्यो को करना जो समिति के हित मे हो ।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धक कारिणी समिति –

गठन – साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होगें । प्रबन्धक , सचिव /मंत्री , अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष एवं सदस्य । कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते है लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा । ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेती । प्रबन्ध समिति कालीतीत नही होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस सस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा ।

बैठकें –

सामान्य – सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव / संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठके बुलायेगा ।

शशिला जाप स्वाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 309892

विशेष – विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यो की माग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा ।

सूचना अवधि – साधारण स्थिति मे प्रबन्ध ट्रस्टी समिति ,महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है । सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है ।

गणपूर्ति – प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठको की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यो के 2/3 उपस्थिति मे पूर्ण मानी जायेगी ।

रिक्त स्थानो की पूर्ति – यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यो के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमे संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है यह प्रकिया संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी को भरने के लिये लागू नही होगी । नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत से अतिरिक्त 50000/. रुपये नगद या उतने की सम्पति देने पर होगी । शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है ।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के सतिति के कर्तव्य – प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें ।

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना ।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओ का प्रबन्धन करना ।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओ मे कर्मचारियो की नियुक्ति , निष्कासन ,पदोन्नति , विनियमितिकरण का अनुमोदन करना ।
4. आय– व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना ।

ट्रस्ट न्यास के नियमों एवं विनियमों मे संशोधन प्रकिया –

समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली मे संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है । नियमावली की कटिंग , अशुद्धि संशोधन छूटे हुये शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी को होगा ।

ट्रस्ट (न्यास) के कोष – ट्रस्ट न्यास के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक /डाकघर मे रखा जायेगा । जिसका संचालन संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी ,महासचिव संस्थापक ट्रस्टी /महासचिव ट्रस्टी के सयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा । परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओ के खातो का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा ।

शीला जायसवाल

शीला जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 309893

ट्रस्ट न्यास के आय व्यय के लेखा परीक्षण :

प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय –व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा ।

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व – ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है ।

ट्रस्ट (न्यास के अभिलेख) – ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे – सूचना रजिस्टर ,सदस्यता रजिस्टर , कार्यवाही रजिस्टर स्टाक रजिस्टर , कैश बुक संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे ।

संस्था को आगे बढ़ाने के लिये 12ए, 80जी 10 / 23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं का प्रदान करना ।

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित मे संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगो का उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि ।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा ।

विघटन – अगर कभी इस ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा मे ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पति पर स्वामित्व संस्थापक /मुख्य ट्रस्टी का होगा । ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी ।

दिनांक

हस्ताक्षर गवाह:–

शीला अग्रवाल

शीला अग्रवाल

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AD 783732

नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का अनुमति से 2/3 बहुमत से अतिरिक्त 50000/-रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होना आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के समिति के कर्तव्य-प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें।

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
4. टाय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

ट्रस्टी न्यास के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास)ब के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग, अशुद्धि संशोधन छूटे हुये शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबनधकारिणी को होगा।

ट्रस्ट (न्यास) के कोष- ट्रस्ट न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा, जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/ महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

ट्रस्ट न्यास के आय व्यय के लेखा परीक्षण:

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

P.T.O.

शीला जायसवाल

शीला जायसवाल

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AD 783729

(2)

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवाउसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

ट्रस्ट (न्यास के अभिलेख)- ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे-सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होगें।

संस्था को आगे बढाने के लिये 12ए, 80जी 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं का प्रदान करना।

केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों का उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

विघटन- अगर कभी ट्रस्ट के विघटन की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा। ट्रस्ट (न्याय) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 25.4.2013

शीला जायसवाल शीलाजायसवाल

गवाह 1- ...

गवाह 2- ...

आज दिनांक 25-4-2013 को बही

[illegible] [illegible]

[illegible] 7 के पृष्ठ 69-160

[illegible] संख्या 7 पर रजिस्ट्री

किया गया।

[illegible] करण अधिकारी

का हस्ताक्षर